संख्या-729/2021/आई /124394/41-1002(001)/152/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 12 दिसम्बर 2021**

विषय:-मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ के वि0स0क्षे0-अलीगढ शहर हेतु पूर्व स्वीकृत योजना अलीगढ शहर में आवास विकास स्थित पोखरे का पर्यटन विकास के स्थान पर परिवर्तित पर्यटन स्थल - रामलीला ग्राउण्ड /गौशाला पार्क स्थित स्थल के कार्यो को कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक पर्यटन के पत्र सं0- 1602/मु0प0सं0यो0(03)/2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-111/2021/378/41-2021-38(बजट)/2021 दिनांक 10 फरवरी 2021 द्वारा **जनपद अलीगढ के वि0स0क्षे0-अलीगढ शहर हेतु आवास विकास स्थित पोखरे के पर्यटन विकास की परियोजना हेतु** कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल) द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0-47.51 लाख की प्रशासकीय एवं रू0-23.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्क्रम में अधिशासी अभियन्ता आवास विकास परिषद अलीगढ के पत्रांक- 320 दिनांक-18-3-21 द्वारा यह अवगत कराया गया कि संदर्भित निचली भूमि तालाब की नहीं है,अपितु उक्त् भूमि आवास विकास परिषद द्वारा आवासीय भूमि हेतु अर्जित की गई है जिसपर तालाब का विकास कराया जाना नियमान्तर्गत संभव नहीं है। उक्त के दृष्टिगत निदेशक पर्यटन के उल्लिखित पत्र दिनांक 28-7-21 द्वारा मा0 विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति सहित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल) द्वारा परिवर्तित प्रायोजना - **रामलीला ग्राउण्ड /गौशाला पार्क स्थित स्थल के कार्यो को कराये जाने हेतु रू0-44.66 लाख का नवीन आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया ।**

3- उक्त पृष्ठभूमि में शासन के पत्रांक-2145/41-2021-38(बजट)/2021 दिनांक 02-09-2021 द्वारा संदर्भगत योजनान्तर्गत् वि0स0क्षे0 - **अलीगढ शहर में आवास विकास स्थित पोखरे का पर्यटन विकास की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक** शासनादेश सं0-111/2021/378/41-2021-38(बजट)/2021 दिनांक 10 फरवरी 2021 को निरस्त कर प्रथम किश्त के रूप में जारी की गई वित्तीय स्वीकृति रू0-23.75 लाख (अर्जित ब्याज सहित) को राजकोष में जमा कराये जाने का निर्देश दिया गया परन्तु उक्त के अनुपालन में अवमुक्त की गई धनराशि को राजकोष में वापस जमा कराने की सूचना नहीं प्राप्त हुई अपितु मा0 विधायक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जी द्वारा पत्र दिनांक-शून्य द्वारा नये स्थल हेतु स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया । उक्त अनुरोध के क्रम में इस बिन्दु पर विचार किया गया कि नयी प्रायोजना की आंकलित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी जाये तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व स्वीकृत योजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-23.75 लाख का उपयोग नयी परियोजना के कार्य कराने में उपयोग की जायेगी।

4- अत: उपरोक्त के दृष्टिगत **जनपद अलीगढ के वि0स0क्षे0-अलीगढ शहर हेतु पूर्व स्वीकृत योजना अलीगढ शहर में आवास विकास स्थित पोखरे का पर्यटन विकास विषयक** शासनादेश सं0-111/2021/378/41-2021-38(बजट)/2021 दिनांक 10 फरवरी 2021 को पुनर्जीवित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उक्त पूर्व स्वीकृत पर्यटन स्थल के स्थाल पर परिवर्तित पर्यटन स्थल - रामलीला ग्राउण्ड /गौशाला पार्क स्थित स्थल के कार्यो को कराये जाने हेतु** उपलब्ध कराये गये आगणन रू0-47.51 लाख के सापेक्ष आंकलित लागत रू0-38.23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि शासनादेश सं0-111/2021/378/41-2021-38(बजट)/2021 दिनांक 10 फरवरी 2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-23.75 लाख का उपयोग **रामलीला ग्राउण्ड /गौशाला पार्क स्थित स्थल के कार्यो को कराये जाने हेतु** किया जायेगा।

5- उक्तानुसार प्रदान की जा रही स्वीकृति से संबंधित अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध निम्नवत लागू होंगी:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-111/2021/378/41-2021-38(बजट)/2021 दिनांक 10 फरवरी 2021 में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं अन्य संगत प्राविधानों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

6 - यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-3179/दस-2021 दिनांक 21 दिसम्बर 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, अलीगढ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल0), लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल0), अलीगढ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
10- उप निदेशक , पर्यटन आगरा मण्डल ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।